

क्रमांक
S.No. 21/45510



REG14 / 100502
AINO : 210348

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
National Institute of Open Schooling
शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था
(An Autonomous Institution under Ministry of Education)
भारत सरकार • Govt. of India



Mohd. Gulzar
16.04.2001



अंक विवरणिका / MARKS STATEMENT

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा
SENIOR SECONDARY SCHOOL EXAMINATION SESSION
OCTOBER-2020

नाम Name MOHD GULZAR
माता का नाम Mother's Name BHOORI BEGUM अनुक्रमांक
पिता का नाम Father's Name SANAWWAR HUSAIN Roll No. 210348193067
अभिभावक का नाम Guardian's Name
जहाँ से नामांकित हुए Enrolled from UTTAR PRADESH

कोड CODE	विषय SUBJECT	अधिकतम अंक MAX MARKS	प्राप्त अंक MARKS OBTAINED				कुल अंक शब्दों में/ TOTAL MARKS IN WORDS	ग्रेड Grade	
			अंकों में IN FIGURES						
			सैद्धांतिक Theory	प्रायोगिक Practical	टीएमए TMA	कुल Total			
302 ENGLISH		100	39	XX	18	57 P	FIFTY SEVEN	E	
319 COMMERCE/BUSINESS STUDIES		100	55	XX	17	72 P	SEVENTY TWO	C	
301 HINDI		100	40	XX	16	56 P	FIFTY SIX	E	
318 ECONOMICS		100	35	XX	15	50 P	FIFTY	F	
320 ACCOUNTANCY		100	32	XX	15	47 P	FORTY SEVEN	F	
			TOTAL= 282				TWO HUNDRED EIGHTY TWO		

परिणाम Result PASS

NOIDA
(NCR)

दिनांक :
Dated 03/05/2021

210348193067
MOHD GULZAR
MOBILE NO. 8533884579, BUDIYA BAGH,
NAWABPURA

MORADABAD
UTTAR PRADESH

PIN. 244001

निदेशक (मूल्यांकन)
Director (Evaluation)

टिप्पणियाँ / NOTES

1. प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 हैं तथा प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रमाणन के लिए न्यूनतम एक भाषा तथा अधिकतम दो भाषाओं के साथ पांच विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
Maximum marks for each subject are 100. Minimum pass percentage in each subject is 33. It is necessary to pass at least in five subjects with minimum one language and maximum two languages for certification.
2. प्रयोग वाले प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक में अलग-अलग न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
Learners have to secure minimum 33% marks in the external examination both in theory and practical separately to pass in a subject having practical component.
3. सत्र 2014-15, स्ट्रीम - 1, ब्लॉक - 2 से आरंभ करते हुए प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक के कुल अंक में से 20% शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र (टीएमए) के लिए निर्धारित किए गए हैं।
Beginning from session 2014-15, Stream-1, Block 2, 20% of theory marks in each subject is fixed for Tutor Marked Assignment (TMA).
4. स्ट्रीम - 2, 3 तथा 4 के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त शिक्षार्थियों पर टीएमए लागू नहीं होता।
TMA is not applicable for learners admitted under Stream 2, 3 and 4.
5. P का अर्थ है विषय में उत्तीर्ण है; SYC का अर्थ है विषय में उत्तीर्ण होना शेष है; SYCP का अर्थ है प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना शेष है, SYCT का अर्थ है सैद्धांतिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना शेष है; और AB का अर्थ है अनुपस्थित।
P indicates Pass in Subject; SYC Indicates Subject Yet to be Cleared; SYCP indicates Subject Yet to be Cleared in Practical; SYCT indicates Subject Yet to be Cleared in Theory; and AB indicates Absent.

6. ग्रेडिंग प्रणाली / Grading System

ग्रेड (Grade)	अंक - अंतराल (Corresponding Marks Range)	गुणात्मकता के प्रकार (Qualitative Description)
A	91-100	विशिष्ट / Outstanding
B	81-90	श्रेष्ठ / Excellent
C	71-80	बहुत अच्छा / Very good
D	61-70	अच्छा / Good
E	51-60	औसत / Average
F	41-50	संतोषजनक / Fair
G	33-40	न्यूनतम / Marginal
H	16-32	सुधार अपेक्षित / Needs improvement
I	0-15	अत्यधिक सुधार अपेक्षित / Needs more improvement

7. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ चुके शिक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिका की पुनः जांच या उत्तरपुस्तिका के पुनः मूल्यांकन के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की वेबसाइट www.nios.ac.in पर इसका विवरण दिया गया है।
A learner who has appeared in an examination conducted by NIOS may apply for re-checking/re-evaluation of answer scripts on prescribed form along with requisite fee. The details are given on NIOS Website: www.nios.ac.in.
8. परीक्षा परिणाम और परीक्षा से संबंधित किसी अन्य डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति की सूचना संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर अवश्य दी जाए।
Any mistake/discrepancy in the result and other data related to exam must be reported to the Regional Centre concerned within 30 days from the date of the declaration of result.